अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ हिंसक कटुता बरकरार : तालिबान

इस्लामाबाद, 10 फरवरी (भाषा)।

अफगान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जारी वार्ताओं के बावजूद अब तक ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ वैमनस्य तत्काल खत्म हो सके। डॉन न्यूज टीवी ने तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद को उद्धृत किया– 'हम युद्ध के लिए बाध्य हैं। हमारे शत्रु हम पर हमला कर रहे हैं, तो फिर हम भी उनसे लड़ रहे हैं।'

2001 में 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका की अगुवाई में गठबंधन सेनाओं ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अतिक्रमण किया। तब से अब तक तालिबान फिलहाल युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में सर्वाधिक शक्तिशाली है और देश के करीब आधे हिस्से में उसका नियंत्रण है।

पिछले माह दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ छह दिन की बातचीत के बाद ट्वीट की एक श्रृंखला में 'अफगानिस्तान सुलह सहमति' के लिए विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान के साथ शांति वार्ताओं में उल्लेखनीय प्रगति की है।

खलीलजाद ने कहा था, 'हमने फ्रेमवर्क का एक मसौदा बनाया है लेकिन इसे समझौते का रूप देने से पहले इस पर विचार करना होगा।' उन्होंने कहा था, 'तालिबान हमारी संतुष्टि के लिए, अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों या लोगों के लिए एक मंच बनने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की खातिर प्रतिबद्ध है।'

खलीलजाद की नियुक्ति सितंबर में हुई थी। तब से वह अमेरिका के इस सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने की कोशिश में सभी पक्षों से मिल चुके हैं। 17 साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में अमेरिका 2,400 से अधिक सैनिकों को गंवा चुका है।चैनल की खबर के अनुसार, मुजाहिद का कहना है कि मास्को वार्ता में भी ऐसा कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ जिसके चलते वह युद्ध और सैन्य दबाव को खत्म कर पाते। चैनल के मुताबिक, वार्ता के समय के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उग्रवादी कमांडर ने कहा कि अमेरिकी अतिक्रमण से पहले भी तालिबान ने वाशिंगटन से युद्ध के बजाय वार्ता करने के लिए कहा था।

मुजाहिद ने कहा कि उन्होंने बातचीत के लिए 2013 में कतर के दोहा में एक राजनीतिक कार्यालय भी खोला लेकिन वाशिंगटन तब बातचीत करने का इच्छुक नहीं था। प्रवक्ता ने कहा कि अब अमेरिका बातचीत का इच्छुक है तो उन्होंने उनसे वार्ता का फैसला किया।

तालिबान को वार्ता के लिए राजी कराने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मुजाहिद ने कहा 'किसी बाहरी देश की ओर से कोई भूमिका नहीं निभाई जा रही है। यह हमेशा से हमारी पहल और नीति रही है।'

दुबई में भारतीय व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप

दुबई,10 फरवरी (भाषा)।

दुबई में एक भारतीय व्यक्ति पर एक आवासीय टॉवर की लिफ्ट के अंदर एक ब्रिटिश पर्यटक का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में 24 वर्षीय भारतीय कामगार पर आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने उस पर 35 वर्षीय पर्यटक को अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया है।

पीड़िता ने बताया, 'शाम लगभग चार बजकर 40 मिनट की यह घटना है। मैं 37वीं मंजिल पर जिम में योग करने जा रही थी। एक एशियाई व्यक्ति मेरे साथ लिफ्ट में था। उसमें सिर्फ हम दोनों थे। वह मुझे छूने के लिए एक तरह से मेरे करीब खड़ा था। मैं दूर हट रही थी लेकिन वह मेरे बाईं ओर से नहीं हटा।'

पीड़िता ने सरकारी अभियोजक जांचकर्ता को बताया, 'वह 34वीं मंजिल पर उतर गया और जब मैं 37वीं मंजिल पर पहुंची तो मैंने पाया कि उसके वीर्य के निशान मेरे कपड़ों पर थे।' रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने इस बात की सूचना होटल सुरक्षाकर्मियों को दी और सर्विलांस कैमरों की जांच की गई। लिफ्ट में कोई कैमरा नहीं था लेकिन आरोपी उस कैमरे में कैद हो गया जब वह लिफ्ट में घुसा था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अगले दिन इसी टॉवर से संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, 'उसने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वह उसे छूने के इरादे से महिला के बहुत करीब खड़ा था।'

रिपोर्ट के अनुसार महिला के कपड़ों को जब्त कर लिया गया है। पर्यटक के कपड़ों पर आरोपी के डीएनए के निशान पाए गए है। फैसला 25 फरवरी को सुनाया जाएगा। हिरासत में लिए गए भारतीय कामगार ने अदालत में आरोपों से इनकार किया है।

अबू धाबी ने हिंदी को अदालत की तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया

दुबई, 10 फरवरी (भाषा)।

अबू धाबी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है।

अबू धाबी न्याय विभाग (एडीजेडी) ने शनिवार को कहा कि उसने श्रम मामलों में अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को शामिल करके अदालतों के समक्ष दावों के बयान के लिए भाषा के माध्यम का विस्तार कर दिया है। इसका मकसद हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सीखने में मदद करना है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का करीब दो तिहाई हिस्सा विदेशों के प्रवासी लोग हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की संख्या 26 लाख है, जो देश की कुल आबादी का 30 फीसद है और यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

एडीजेडी के अवर सचिव युसूफ सईद अल अब्री ने कहा कि दावा शीट, शिकायतों और अनुरोधों के लिए बहुभाषा लागू करने का मकसद प्लान 2021 की तर्ज पर न्यायिक सेवाओं को बढ़ावा देना और मुकदमे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।

ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों ने अनुचित स्वास्थ्य उपकर का किया विरोध

लंदन, 10 फरवरी (भाषा)।

ब्रिटेन में रहने और काम करने वाले भारतीय डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशवेरों ने यहां रहने और काम करने वाले यूरोपीय संघ के बाहर के नागरिकों पर लगने वाले स्वास्थ्य उपकर में नुचितरूप से की गई दोगुना वृद्धि का विरोध कर रहे हैं।

'इमीग्रेशन हेल्थ सरचार्ज' अप्रैल 2015 में पेश किया गया था और पिछले साल दिसंबर से यह 200 ब्रिटिश पाउंड से बढ़ाकर 400 ब्रिटिश पाउंड प्रति वर्ष कर दिया गया।

यह देश में सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के लिए अतिरिक्त निधि एकत्रित करने के लक्ष्य से यह उपकर कामकाजी, शिक्षा या परिवार वीजा पर ब्रिटेन में छह महीने से ज्यादा वक्त के लिए रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू किया गया है।

भारतीय मूल के डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटेन की सबसे बड़ी संस्था 'द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजिन' (बीएपीआइओ) उपकर में वृद्धि पर पुनः विचार करने के लिए ब्रिटेन के गृह कार्यालय की लॉबिंग कर रही है।

उसकी दलील है कि इससे एनएचएस में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से अधिक संख्या में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भर्ती की उनकी कोशिशों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अफगान सांसद का दावा, हवाई हमलों में 21 नागरिकों की मौत

काबुल, 10 फरवरी (एपी)।

अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 21 नागरिकों की मौत हो गई है। क्षेत्र के एक सांसद ने रविवार को यह दावा किया।

सांसद मोहम्मद हाशिम अल्कोजई ने कहा कि एक हमले में 13 नागरिकों की और दूसरे हमले में आठ नागरिकों की मौत हो गई। दोनों हवाई हमले सांगिन जिले में शुक्रवार देर रात उस समय किए गए जब नाटो के समर्थन वाले अफगान बलों और तालिबान के बीच लड़ाई चल रही थी।

अल्कोजई ने बताया कि हवाई हमलों में कम से कम पांच अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया, 'हवाई हमलों के पीड़ितों में निर्दोष लोग ही शामिल हैं।' उन्होंने बताया कि सैन्य अभियानों ने जनता के गुस्से को भड़का दिया है। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता उमर ज्वाक ने बताया कि उग्रवादियों ने एक असैन्य इलाके से अफगान बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने हवाई हमलों में नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की लेकिन उन्होंने विस्तृत सूचना मुहैया नहीं कराई। उन्होंने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है।

तुर्की में इमारत गिरने से 21 लोगों की मौत

इस्तांबुल, 10 फरवरी (एएफपी)।

तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक अपार्टमेंट की इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर शनिवार को 21 हो गई। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि प्रशासन को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। शहर के करताल जिले में बुधवार का आठ मंजिला इमारत ढह गई लेकिन अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चला है।घटनास्थल पर पहुंचे एर्दोआन ने कहा, 'हमारे पास इस घटना से सीखने के लिए कई चीजें हैं। हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।' इस बीच, गृह मंत्री सुलेमान सोयलु ने पत्रकारों को बताया कि इमारत गिरने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है और 14 लोग घायल हैं। कई बचावकर्ता घटनास्थल पर मौजूद हैं। मलबा हटाने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है।

मलेशिया-सिंगापुर में तनाव बढ़ा

कुआलालंपुर, 10 फरवरी (एएफपी)।

सिंगापुर और मलेशिया के विवादित जल क्षेत्र में मलेशियाई सरकार के एक पोत के एक अन्य जहाज से टकराने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। मलेशियाई अधिकारियों ने यूनान के ध्वज वाले जहाज (एमवी पीरयाज) को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके चालक दल के सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। शनिवार को मलेशियाई पोत पोलारिस और यूनान के ध्वज वाले जहाज के बीच टक्कर हो गई थी।

मान एल्युमीनियम लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 4/5, Iला तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002
CIN: L30007DL2003PLC214485, फोन: 40081800
ई–मेल:info@maanaluminium.in, वेबसाईट:www.maanaluminium.com

31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(ईपीएस को छोड़कर रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ महीने	
		31 दिस, 2018 (अनंकेक्षित)	31 दिस, 2017 (अनंकेक्षित)	31 दिस, 2018 (अनंकेक्षित)	31 दिस, 2017 (अनंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय सकल	14,817	10,305	44,692	34,036
2.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ	321	266	1107	827
3.	कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ	321	266	1107	827
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ	206	184	706	547
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	207	183	710	545
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	676	676	676	676
7.	आय प्रति शेयर रु. 10/– प्रति का	3.05	2.73	10.44	8.09
	मूल ईपीएस	3.05	2.73	10.44	8.09
	तरल ईपीएस				

टिप्पणी:
1. 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 09 फरवरी, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा उसे अनुमोदित किये गये।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सम्पूर्ण वित्तीय परिणाम www.bseindia.com, www.nseindia.com तथा www.maanaluminium.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के लिये तथा उनकी ओर से
हस्ता./–
(रविन्दर नाथ जैन)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
DIN:00801000

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 9 फरवरी, 2019

मांग सूचना

जैसा कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (जिसको कि आगे 'आर्सिल' कहा जाएगा) जो कि एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। आर्सिल कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (जिसको कि आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है एवं जैसे कि ऋणी/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/सह–आवेदको एवं सलाहकारों जैसा कि कॉलम क्रमांक 3 में दर्शाया गया है ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण प्राप्त किया था तथा यतः आर्सिल द्वारा कॉलम क्रमांक-2 में वर्णित ऋण खातों से संबंधित वित्तीय आस्तियों का अधिकरण किया गया था। जैसा कि अधिनियम के अनुसार आर्सिल के द्वारा सुरक्षित लेनदार के रूप में अधिनियम की धारा 13(2) के सपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित ऋणियों/सहऋणियों /जमानतदारों को जारी किए मांग सूचना पत्र द्वारा आगामी ब्याज सहित 60 दिवस के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये गए थे लेकिन उनमें से कुछ मांग सूचना पत्र किन्ही कारणों से उन पर तामील नहीं हो सके थे।

क्र सं.	ऋण खाता सं. बैंक का नाम	ऋणी/ सह-ऋणियों/ जमानतदारों के नाम	कुल बकाया राशि (रू. में)
1.	HHOMDEL 00053631	सुखराम पाल/सुनिता गौतम/ मैसर्स वीनस क्रियेशन	रू. 50,16,070.79 14–जनवरी–2019

संपार्श्विक सम्पत्ति का विवरण : मार्ट नं. बी– 07/46, प्रथम तल, एक्सपोमार्ट कॉम्पलेक्स, प्लॉट नं. 25,27,28 व 29, नोलेज पार्क–द्वितीय, ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश – 201306

क्र सं.	ऋण खाता सं. बैंक का नाम	ऋणी/ सह-ऋणियों/ जमानतदारों के नाम	कुल बकाया राशि (रू. में)
2.	HL0031/HDL H00009986	संजीव साभेरवल / श्याम सुन्दर साभेरवल	रू. 97,05,615.51 19–जनवरी–2019

संपार्श्विक सम्पत्ति का विवरण : 42 बी, रॉकेट, मयूर विहार, फेस–द्वितीय, नई दिल्ली

अतः कॉलम क्रमांक-3 में वर्णित ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/सह-आवेदको एवं सलाहकारों को सूचना पत्र जारी किया जाता है कि कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित ऋणियों/सह–ऋणियों/जमानतदारों/सह-आवेदको एवं सलाहकारों को कुल राशि का भुगतान इस सूचना पत्र के प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर करने को कहा जाता है, जैसा कि कॉलम नं. 4 में वर्णित दर्शाई गई दिनांकके अनुसार ऋण खातों के सम्बंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि मय ब्याज एवं अन्य शुल्क जो कि भुगतान की जाने वाली तिथि तक अदा किए जाने हैं, का भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्सिल द्वारा उपरोक्त वर्णित परिसंपत्तियों पर सुरक्षित हित प्रवर्तन नियम के अनुसार उचित एवं आवश्यक कारवाई की जाएगी व ली गई सभी सुविधाए रोक ली जाएगी तथा अधिनियम में निर्देशित किये गये नियमों के तहत भी उचित कदम उठाए जाएंगे।

हस्ताक्षर:
दिनांक: 11.02.2019 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: दिल्ली असेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड

Arcil असेट रीकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN NO:-U65999MH2002PLC134884 www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10 वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (प.), मुंबई-400028, फोन: +91 2266581300
शाखा पता: द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नं. 2, डी. डी.ए., लॉकल शॉपिंग सेन्टर, एमओआर भूमि नई, राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली– 110060

ज्वीना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड

(सीआईएन - U70109DL2016PTC291775)
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय - एम-62 और 63, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.
फोन - (011) 30252900
प्ररूप संख्या आईएनसी 26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) घ के मामले में

और

ज्वीना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एम-62 और 63, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 स्थित है, के मामले में,

आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 3 फरवरी, 2019 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदया भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा :

पता - एम-62 और 63, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
ज्वीना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर
करण सिंह खेरा
निदेशक
डीआईएन - 00017236

दिनांक - 09.02.2019
स्थान - नई दिल्ली

JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED

Regd. Office : Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli - 486 669, (Madhya Pradesh)
Corporate Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 (India)
Website: www.jppowerventures.com Email: jpvl.investor@jalindia.co.in CIN : L40101MP1994PLC042920

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2018

Rs. in Lakhs except Earning Per Share

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended 31.03.2018 (Audited)
		Quarter Ended 31.12.2018 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2017 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2018 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2017 (Unaudited)	
1.	Total income from operations (net)	99,867	99,888	97,017	308,768	301,341	373,006
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(8,080)	(8,874)	(22,241)	(21,576)	(36,798)	(61,870)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(8,080)	(8,874)	(22,241)	(16,308)	(36,798)	(61,870)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(9,589)	(4,186)	(19,441)	(13,361)	(36,998)	(52,731)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(9,591)	(4,187)	(19,416)	(13,365)	(36,973)	(52,735)
6.	Equity Share Capital	599,600	599,600	599,600	599,600	599,600	599,600
7.	Other equity	–	–	–	–	–	336,946
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)						
	Basic :	(0.16)	(0.07)	(0.32)	(0.22)	(0.62)	(0.88)
	Diluted :	(0.16)	(0.07)	(0.32)	(0.22)	(0.62)	(0.88)

Note : The above is an extract of the detailed statement of Quarterly/Nine months period ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarterly/Nine months period financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website i.e. www.jppowerventures.com.

For and on behalf of the Board
MANOJ GAUR
CHAIRMAN
DIN 00008480

Place : New Delhi
Dated : 09th February, 2019

JAYPEE GROUP — Construction, Power, Cement, Hospitality, Real Estate, Fertilizer, Buddh International Circuit — NO DREAM TOO BIG

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

Relevant particulars

1.	Name of the corporate debtor	Easytech Global Private Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	June 06, 2014
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Company, NCT of Delhi and Haryana
4.	Corporate identity number/limited liability identification number of corporate debtor	CIN:U51505DL2014PTC267884
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor	Registered office: E-92, 2nd Floor, Masjid Moth, Greater Kailash-III, New Delhi,SouthDelhi-110048
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	October 15, 2018 (w.e.f date of receipt of NCLT order)
7.	Date of invitation of expression of interest	February 11, 2019
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	https://www.llcairp.com/
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	https://www.llcairp.com/
10.	Last date for receipt of expression of interest	February 26, 2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	February 28, 2019
12.	Last date for submission of objections to provisional list	March 05, 2019
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	March 11, 2019
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	March 01, 2019
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Resolution Professional will provide the Information Memorandum, Process Note and Evaluation Matrix for submission of Resolution Plan in the electronic form/ physical form to potential resolution applicants meeting the eligibility criteria as set out by the Committee of Creditors and per section 29 (2) of the Insolvency and Bankruptcy Code (the Code), after receiving a confidentiality undertaking as per section 29(2) of the Code.
16.	Last date for submission of resolution plans	April 1, 2019
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed Envelope by speed post / registered post / by hand delivery to Resolution Professional at the correspondence address and electronic copy by email at egpl.rp@llca.net
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	April 8, 2019
19.	Name and registration number of the resolution professional	Name: Akhilesh Kumar Gupta Regn no.-IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-2018/11353
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Akhilesh Kumar Gupta Luthra & Luthra LLP, Chartered Accountants A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Email: akhilesh@llca.net
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Akhilesh Kumar Gupta Luthra & Luthra Restructuring And Insolvency Advisors LLP, A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Email: egpl.rp@llca.net
22.	Further Details are available at or with	https://www.llcairp.com/
23.	Date of publication of Form G	February 11, 2019

Date: February 8, 2019
Place: New Delhi

(Akhilesh Kumar Gupta)
Regn no.-IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-2018/11353
Luthra & Luthra Restructuring And Insolvency Advisors LLP
A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
Resolution Professional - for Easytech Global Private Limited